भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 346
उत्तर देने की तारीख- 22/07/2025

यूडीआईडी कार्ड जारी करना

346. श्री राजू बिष्ट :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (**यूडीआईडी**) जारी करने में हो रहे विलंब की जानकारी है;

(ख) दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में आज तक यूडीआईडी आवेदनों की कुल संख्या, जारी किए गए यूडीआईडी कार्ड और लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है और दिव्यांगों का शत -प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने की समय-सीमा क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल में यूडीआईडी लाभार्थियों द्वारा राज्य और केंद्र सरकार दोनों की कल्याण योजनाओं के माध्यम से प्राप्त की जा सकने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): जी, हां।

(ख): अपेक्षित विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

जिले का नाम	प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या	जारी किए गए यूडीआईडी कार्ड की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
दार्जलिंग	2180	1057	1120
कलिम्पोंग	455	352	101

चूँकि चिकित्सा प्राधिकरण राज्य सरकार के अधीन आता है और नामांकन प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं, इसलिए दिव्यांगजनों के शत-प्रतिशत नामांकन के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ग): पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से यूडीआईडी लाभार्थी निम्नलिखित सहायता प्राप्त कर सकते हैं:-

(i) 'सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)' योजना दिव्यांगजनों को उनके शारीरिक, सामाजिक और मानसिक पुनर्वास के लिए टिकाऊ और आधुनिक सहायक उपकरण प्रदान करती है।

(ii) 'दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)' दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु गैर-सरकारी संगठनों और एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(iii) पश्चिम बंगाल में 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना' स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक, फ़ेलोशिप, विदेश में अध्ययन, और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सहित छह घटकों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(iv) 'सिपडा योजना' के अंतर्गत 'सुगम्य भारत अभियान (एआईसी)' का उद्देश्य निर्मित अवसंरचना, परिवहन और आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र में दिव्यांगजनों के लिए बाधा-मुक्त वातावरण का सृजन करना है।

(v) 'नेशनल दिव्यांगजन फाइनैंस एंड डिवैल्पमेंट कॉरपोरेशन (एनडीएफडीसी)' दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए ऋण प्रदान करता है।

(vi) 'विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) परियोजना' दिव्यांगजनों को एक डिजिटल पहचान पत्र प्रदान करती है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं और अधिकारों तक उनकी निर्बाध पहुँच सुनिश्चित होती है।

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को स्वीकृत निधि का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रबंधन उनके संबंधित राज्यों द्वारा किया जाता है। इसलिए, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी को शून्य माना जाए।

*****

अनुबंध

" यूडीआईडी कार्ड जारी करना " के संबंध में दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 346 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

विभिन्न योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल को स्वीकृत निधियां

क) सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केंद्रों/भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)/जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्रों/दिव्यांगताओं के क्षेत्र में राज्य निगमों/अन्य स्थानीय निकायों/गैर सरकारी संगठनों) को सहायता-अनुदान प्रदान करना है, ताकि वे जरूरतमंद दिव्यांगजनों को उनके शारीरिक, सामाजिक और मानसिक पुनर्वास को बढ़ावा देने और उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि करने हेतु टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्र और उपकरण खरीदने में सहायता कर सकें।

एडिप योजना के तहत पिछले 11 वर्षों में पश्चिम बंगाल राज्य में स्वीकृत निधियां

वित्त वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (लाख रूपये में)
2014-15	13,085	500.25
2015-16	13,988	1163.02
2016-17	25,199	1149.95
2017-18	17,602	732.64
2018-19	21,384	1321.46
2019-20	18,047	825.51
2020-21	14,855	713.05
2021-22	7,507	547.50
2022-23	25,174	2349.90
2023-24	10,424	962.32
2024-25	14,574	1348.50
कुल	**1,81,839**	**11614.10**

ख) दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)

इस योजना के तहत, दिव्यांगजनों के कल्याण/सशक्तिकरण हेतु विभिन्न परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर, समता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने हेतु एक अनुकूल वातावरण का सृजन करना और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है।

पिछले 3 वर्षों में डीडीआर योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में स्वीकृत निधियां इस प्रकार हैं:-

वर्ष	जारी की गई निधियां (लाख रूपये में)	लाभार्थियों की संख्या
2022-23	811.67	4424
2023-24	782.79	7162
2024-25	675.72	7766

ग. <u>पश्चिम बंगाल में दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति</u>

यह विभाग दिव्यांग छात्रों को स्कूल स्तर से लेकर डॉक्टरेट स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने हेतु 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति' नामक योजना छह घटकों के साथ कार्यान्वित कर रहा है ताकि वे अपनी आजीविका कमाने में सक्षम हो सकें और समाज में सम्मानजनक स्थान पा सकें।

छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत स्वीकृत निधियां-

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि
1	पश्चिम बंगाल	512	3.49	459	4.49	596	5.22	28	0.70

घ. सिपडा योजना के अंतर्गत सुगम्य भारत अभियान

सिपडा की बाधा मुक्त और एआईसी उप-योजना के अंतर्गत जारी सहायता-अनुदान के संबंध में जारी/स्वीकृत राशि और लंबित उपयोग प्रमाण पत्र (31.03.2025 तक)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)	उपयोग प्रमाण पत्र/प्राप्त धन वापसी (रिफंड) की राशि (लाख रुपये में)	लंबित उपयोग प्रमाण पत्र (लाख रुपये में)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से लंबित कुल उपयोग प्रमाण पत्रों का %
पश्चिम बंगाल (बाधा मुक्त)	2016-17	157.92	157.92	0.00	**0.00%**
	2022-23	76.53	0	76.53	**100.00%**
पश्चिम बंगाल (एआईसी)	2017-18	100.18	100.18	0.00	**0.00%**
		189.34	189.34	0.00	**0.00%**
	2018-19	150.66	118.64	32.02	**21.25%**
		954.56	774.39	180.17	**18.87%**
	2021-22	297.50	0	297.50	**100.00%**
	कुल	1926.69	1340.47	586.22	**30.43%**

ङ) नेशनल दिव्यांगजन फाईनैन्स एंड डिवैलप्मेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी):-

i) पश्चिम बंगाल राज्य में सिपडा अनुदान के तहत एनडीएफडीसी ऋण योजनाओं के तहत जारी ऋण और एनडीएफडीसी द्वारा आयोजित कौशल प्रशिक्षण का विवरण इस प्रकार है (संचयी):-

	स्व-रोज़गार ऋण	कौशल प्रशिक्षण	रोजगार मेला
जारी की गई राशि (लाख रूपये में)	771.94	244.51	शून्य
लाभार्थियों की संख्या	1724	3028	

ii) पिछले वित्त वर्ष (2024-2025) के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में सिपडा अनुदान के तहत एनडीएफडीसी ऋण योजनाओं के तहत जारी ऋण और एनडीएफडीसी द्वारा आयोजित कौशल प्रशिक्षण का विवरण इस प्रकार है:-

	स्व-रोज़गार ऋण	कौशल प्रशिक्षण	रोजगार मेला
जारी की गई राशि (लाख रूपये में)	30.37	8.60	शून्य

लाभार्थियों की संख्या	03	159	

च) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी):-

यूडीआईडी योजना के अंतर्गत 29.00 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

****